रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1143] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2011/ज्येष्ठ 20, 1933
No. 1143] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2011/JYAISTHA 20, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2011

का.आ. 1354(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 910(अ) तारीख 21 अप्रैल 2010 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के 103.00 कि.मी से 610.00 कि.मी. आगरा -इंदौर सेक्शन, 0.00 कि.मी से 12.60 कि.मी इंदौर - मुम्बई सेक्शन तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में प्राधिकरण ने कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 577.550 कि.मी. से 610.000 कि.मी. और 0.000 कि.मी से 12.600 कि.मी (इंदौर-देवास सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है) तक के विद्यमान सेक्शन को छह लेन का बनाने, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स इंदौर- देवास टोलवेस लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 6-3-1090, बी-1, टी एस आर टावरस , राजभवन रोड़ , सोमाजीगुडा, हैदराबाद - 500082 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण के आधार पर एक करार किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट यानों के प्रवर्ग पर फीस उसके स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्गृहीत और संगृहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक उक्त फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी

क्रम संख्यांक	यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण :--

1. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा ।

क्रम सं.	पथकर - प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (कि.मी. में)जिसके लिए फीस संदेय है
1.	591.000 कि.मी इंदौर बाईपास पर , फ्लांईओवर जंक्शन के एकदम बाद राजमार्ग संख्या-3 पर ।	45.05 कि.मी (इंदौर बाईपास के लिए)
2.	प्लाजा इंदौर साइड पर , राजमार्ग संख्या -3 ।	13.45 कि.मी (इंदौर नगर की तरफ जाने वाला यातायात)

2. वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से छः माह की अवधि तक फीस का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/568/10-11/सी.ओ./जीसी इंदौर (577.55-610.0 और 0.0-12.6) बी.ओ.टी.]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2011

S.O. 1354(E).– Whereas, the Central Government vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.910(E), dated the 21st April, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, entrusted the stretch from Km 103.00 to Km 610.00 of Agra- Indore section , Km 0.0 at Agra and from Km 0.00-Km 12.60 of Indore – Mumbai section of National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Indore Dewas Tollways Limited, having its registered office at 6-3-1090, B-1, TSR Towers, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad - 500082, Andhra Pradesh, India (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing section from Km 577.550 – Km 610.000 and Km 0.000 – Km 12.600 (Indore - Dewas section) of the National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said section) to six lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on the type of mechanical vehicles specified in column 2 of the following Table, for the use of said section at the base rate specified in column 3 of the said table, and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:-

TABLE

Sl. No.	Type of Vehicle.	Base rate of fee per vehicle per km per one-way trip for base year 2007-08. (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
3.	Bus or Truck.	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles).	3.45
5	Oversized Vehicles (seven or more axles).	4.20

Notes:-

1. The fee shall be collected at the following location of toll plazas for the distance specified against each Toll Plaza:-

S. No.	Location of toll plaza.	Length (in km) for which fee payable.
1	Km 591.000 on Indore bypass just after the flyover of the junction at National Highway No 3.	45.05 Km (for Indore bypass)
2	Plaza on Indore side on National Highway No 3.	13.45 Km (from traffic going towards Indore City)

2. The revision of fee shall not be effective until a period of six months has elapsed from the date of Commercial Operation.

[F. No. NHAI/13013/568/10-11/CO/GC Indore (577.55-610.0 & 0.0-12.6) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.